न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 115/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
लाखाराम पुत्र मेहराम जाति जाट निवासी सिंधलास हाल निम्बडी चांदावता तहसील डेगाना जिला नागौर।		उपतहसीलदार सांजू।

उपस्थिति :–
1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23-12-19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 230/2017 सरकार बनाम लाखाराम में निर्णय दिनांक 22.11.17 के तहत मौजा निम्बडीचांदावता के खसरा नं. 1156 रकबा 0.81 हैक्ट. गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.02.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.03.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार सांजू के प्रकरण सं. 230/17 सरकार बनाम लाखाराम के फर्द अहकाम दिनांक 30.10.17 से 22.11.17 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 22.11.17 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नक्शा की प्रति, नकल जमाबंदी की प्रति तथा फोटो–2 पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नही रही थी, क्योकि उस पर कभी कोई सम्यक तामील नही हुई न तामील का कोई सबूत पत्रावली मे उपलब्ध है न अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण है मात्र खातेदारी के खेतो पर ही उसका कदीमी कब्जा काश्त है व उसी मे अपीलांट का मकान पीढियो पुराना बना हुआ है। इसके बावजूद पटवारी ने मिथ्या रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत कर दी व अपीलांट को अंधेरे मे रखकर उप तहसील कार्यालय सांजू मे बुलाकर कथित आदेशिका पर बिना उसके विरूद्व कार्यवाही की जानकारी दिये हस्ताक्षर करवा दिये तत्पश्चात दिनांक 22.11.17 को यानि कार्यवाही दर्ज रजिस्टर दिनांक 30.10.17 को करा बताकर दूसरी पेशी दिनांक 22.11.17 को ही बिना जवाब व साक्ष्य सबूत लिये कथित प्रकरण का निर्णय पारित कर दिया व विधि विरूद्व निर्णय की पालना मे अपीलांट के कदीमी निर्माण को ध्वस्त करने की धमकी पटवारी ने हाल ही मे दी व उप तहसीलदार द्वारा निर्णय करने के बारे मे बताया तब अपीलांट तुरंत उप तहसीलदार सांजू के कार्यालय मे जाकर नकल का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 23.02.18 को कथित निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई, जिनको पढने व पढाने पर अपीलांट को इस निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.02.18 को हुई, तत्पश्चात दिनांक 24 व 25.2.18 को सरकारी अवकाश आ गये उसके पश्चात अपीलांट ने कानूनी जानकारो से सलाह मशविरा करने पर उसे नागौर आकर अपील करने की कानूनी राय मिली तत्पश्चात अपीलांट ने अपील की तैयार कर खर्चे आदि की व्यवस्था कर दिनांक 27.02.18 को नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सांय तक अपील तैयार करवायी व बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की। जिसे तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख

अपर कलक्टर, नागौर

अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना केवल मात्र प्रिन्टेट कागजो मे खानापूर्ति करके पारित किया गया होने से विधि सम्मत निर्णय नही है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट का कथित खसरा नं. 1156 किस्म गोचर भूमि के एक इंच भूभाग पर भी कोई कब्जा अतिक्रमण न तो कभी रहा न आज दिन है वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि कथित खसरा नं. 1156 के पास ही अपीलांट की खातेदारी की भूमियां खसरा नं. 1170, 1171, 1206, 1207, 1618, 1208 स्थित है। अपीलांट की उक्त खातेदारी की भूमियो मे नलकूप कदीमी समय से बना हुआ है अपीलांट का परिवार कृषि कार्य करता है खेतो मे ही निवास करते है इसलिये कदीमी समय से कृषि कार्य हेतु औजार रखने व निवास करने हेतु पक्का रहवासी मकान, बाडा, पानी का होद आदि निर्माण करीब 40 वर्ष पुराने बने हुए है जिनके संबंध मे कभी भी किसी को कोई उजर आपति नही थी न करने का अधिकार था न अपीलांट का किसी सरकारी गोचर भूमि पर कोई कब्जा अतिक्रमण रहा है न किसी की कोई शिकायत है इसके बावजूद पटवारी ने बिना मौका जांच किये व बिना नाप चोप किये मनमर्जी से खसरा नं. 1156 सरकारी गोचर भूमि पर अपीलांट का कब्जा / अतिक्रमण कच्चा पक्का निर्माण कर बताकर छपे छपाये फार्म को भरकर मिथ्या रिपोर्ट पेश कर दी व उसके आधार पर अपीलांट को बिना सुने, बिना उसके विरूद्व ऐसी रिपोर्ट के बारे मे बताये, बिना जवाब व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये दूसरी ही पेशी पर एकाएक इस तरह से निर्णय जैर अपील पारित करना विधि विरूद्व है तथा अपीलांट के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात किया गया है इसलिये निर्णय अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–प्रकरण की परिस्थितियो के अनुसार पटवारी को यदि ऐसी कोई रिपोर्ट करनी थी तो उससे पहले अपीलांट व आस पास के अन्य खातेदारो को सूचित कर सभी के रूबरू कथित सरकारी खसरा गोचर भूमि का रेकर्ड अनुसार नाप चोप करके व आस पास के खातेदारो की खातेदारी की भूमि का नाप चोप करके, उसके पश्चात यदि किसी का सरकारी खसरा पर कोई कब्जा / अतिक्रमण पाया जाता तो उसके पश्चात ऐसी रिपोर्ट की जा सकती थी, मगर पटवारी ने नाप चोप किये बिना मनमर्जी से कदीमी निर्माण जो खातेदार की खातेदारी भूमि मे बनाये हुए है उनको सरकारी गोचर भूमि पर बता कर रिपोर्ट पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। उप तहसीलदार सांजू ने भी ऐसी साइक्लोस्टाइल रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्व बिना उसे सुने व बिना जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये केवल मात्र मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जेर अपील पारित करने का कोई विधिक अधिकार नही था। इतना ही नही कथित रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने से पूर्व उप तहसीलदार सांजू ने अपने स्तर पर कोई जांच नही की न पटवारी व आरआई के बयान लिये न ही मौका रिपोर्ट के बारे मे अपीलांट को स्पष्ट जानकारी दी न ही कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर ही दिया, ऐसी सूरत मे उक्त निर्णय विधिक निर्णय नही है इस कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रथम आदेशिका दिनांक 30.10.17 की नोटिस जारी होने बाबत है व पेशी दिनांक 22.11.17 को नियत की गई है और उक्त दूसरी पेशी दिनांक 22.11.17 की आदेशिका मे केवल मात्र यह अंकन किया है कि अप्रार्थी उप. निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो। जबकि अपीलांट/गेर सायल उस पेशी पर किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ, उसका नोटिस तामील नही होने के बावजूद उसकी उपस्थिति कैसे हुई व उसको जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर देने या नही देने का आदेशिका मे कोई हवाला नही है यह भी हवाला नही है कि गैर सायल ने जवाब व साक्ष्य सबूत पेश किया या पेश नही करना चाहा है, ऐसा कुछ भी अंकन किये बिना ही दूसरी पेशी पर ही मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया है जो स्पष्ट रूप से खातेदार के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात किया गया है। जिससे उक्त निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने मे विधिक प्रक्रिया नही अपनायी है व अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नही होते हुए भी उसके विरूद्व इकतरफा मे निर्णय जैर अपील पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व येन केन प्रकारेण एक बार ऐसा बेदखली का आदेश आनन फानन मे पारित कर उसके पश्चात पश्चातवर्ती अतिक्रमण बताकर पुनः कार्यवाही करने आदि के लिये संपूर्ण कार्यवाही की गई है जो गैर कानूनी है। इतना ही नही पटवारी ने संवत 2074 मे अपीलांट का कच्चा पक्का

अपर कलक्टर, नागौर

निर्माण बताकर अतिक्रमण बताया है जबकि संवत 2074 का मौके पर कोई निर्माण नही है मौका जांच करवाने पर स्पष्ट हो जावेगा कि उक्त निर्माण पीढियो पुराना करीब 40 साल पहले का है वैसी सूरत मे नया कोई अतिक्रमण नही होते हुए भी संवत 2074 मे अतिक्रमण करने की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलांट के अधिकारो पर कुठाराघात किया है अपीलांट के परिवार ने लाखो रू. खर्च करके अपनी खातेदारी के खेत मे कृषि प्रयोजनार्थ उक्त निर्माण करवाया हुआ है जिससे अपीलांट को ऐसे विधि विरूद्व निर्णय की आड मे बेदखल कर दिया व तोड फोड कर दी तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी व बिना अतिक्रमण के उसके विरूद्व कार्यवाही करने से उसके हक अधिकारो का हनन होगा, ऐसी स्थिति मे निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाकर मौके पर संपूर्ण सरकारी गोचर भूमि व आस पास के खसरो का नाप चोप करवा कर सीमाज्ञान करवाने हेतु उप तहसीलदार सांजू आदि को उचित आदेश दिया जाना भी आवश्यक व न्याय संगत है ताकि भविष्य मे पुनः अपीलांट के विरूद्व इस तरह की मिथ्या कार्यवाही कर उसे तंग परेशान नही किया जा सके। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी खातेदार को उसकी खातेदारी की भूमि के अलावा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना बताया जावे तो उसे पूरा सुनवाई का अवसर दिया जावे, उसके व मौतबिरान के रूबरू सरकारी खसरा व खातेदारी के खसरान का नाप चोप किया जावे व खातेदार को साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जावे उसके पश्चात ही ऐसा कोई आदेश पारित किया जा सकता है मगर प्रकरण हाजा मे ऐसी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही जल्दबाजी मे एकाएक मिथ्या रिपोर्ट कर उसके आधार पर निर्णय पारित करवाया गया है। ऐसी सूरत मे निर्णय जैर अपील निरकुंश निर्णय होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)–कथित रिपोर्ट पटवारी ने पेश की व जांच करना बताया है उस समय अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे फसल बोई हुई थी वैसी सूरत मे अपीलांट द्वारा किस प्रकार से नाप चोप किया व किस प्रकार से अपीलांट का सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण माना इसका भी कोई कारण व तथ्य पत्रावली पर नही आये है फिर भी इन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर कोई गौर किये बिना निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है। अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा निम्बडीचांदावता में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके निम्बडीचांदावता के खसरा नंबर 1156 रकबा 0.81 हैक्ट. गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर

अपर कलेक्टर, नागौर